

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :— प. 2(12)साप्र / 2 / 1977

जयपुर, दिनांक : 22-10-2024

—: परिपत्र :—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को जयपुर तथा समस्त जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस का आयोजन किया जावे, जिसके अन्तर्गत उन सभी भवनों पर जिन पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जावे यद्यपि राजभवन/राजनिवास, विधान परिषद भवन/विधानसभा भवन तथा उच्च न्यायालय भवनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नहीं फहराया जाना है।

इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देश दिनांक 07.10.2024 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख विशेषाधिकारी (टीजेके), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, उप मुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, मिनी सचिवालय, जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
18. आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर।
19. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.10.22 16:40:02 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता — कमरा नं 1127, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302001
फोन नं. 0141-2925245 ई मेल आईडी — DSGAD@RAJASTHAN.GOV.IN
विभागीय वेबसाइट — WWW.GAD.RAJASTHAN.GOV.IN



Act Home

Seeey GRADE

4

File No. 2/10/2021-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi.
Dated: 07th October, 2024

To

10 OCT 2024

The Chief Secretaries/Administrators of All State Governments/UT Administrations.

Subject: Display of the United Nations Flag on the United Nations Day – reg.

Sir/Madam,

Every year 24th October is observed as the United Nations Day. On this day, the United Nations Flag is flown along with the Indian National Flag on all buildings on which the Indian National Flag is regularly flown. The United Nations Flag is, however, not flown on Raj Bhawans/Raj Niwases and buildings housing Legislative Councils, Legislative Assemblies and High Courts.

2. In terms of para 3.36 of the Flag Code of India, 2002, “*When the United Nation’s Flag is flown along with the National Flag, it can be displayed on either side of the National Flag. The general practice is to fly the National Flag on the extreme right with reference to the direction which it is facing (i.e. extreme left of an observer facing the masts flying the Flags).*”

3. The State Governments/Union Territory Administrations are requested to issue necessary instructions in the matter accordingly.

Yours faithfully,

三

(Pandey Pradeep Kumar)

(Parry Philip Hallam)
Deputy Secretary to the Govt. of India

F. No. 2/10/2021-Public
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grah Mantralaya

North Block, New Delhi.
Dated: 07th October, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Display of the United Nations Flag on the United Nations Day – reg.

Every year 24th October is observed as the United Nations Day. On this day, the United Nations Flag is flown along with the National Flag on all buildings on which the Indian National Flag is regularly flown. The United Nations Flag is, however, not flown on Rashtrapati Bhawan, Vice-President's House, Parliament House and Supreme Court building.

2. In terms of para 3.36 of the Flag Code of India, 2002, "*When the United Nation's Flag is flown along with the National Flag, it can be displayed on either side of the National Flag. The general practice is to fly the National Flag on the extreme right with reference to the direction which it is facing (i.e. extreme left of an observer facing the masts flying the Flags).*"
3. The Ministry of Housing and Urban Affairs is requested to issue suitable instructions in the matter in so far as the buildings under their charge in Delhi / New Delhi are concerned.

7/10/2024

(Pandey Pradeep Kumar)
Deputy Secretary to the Govt. of India
T: 011 23093101

Copy to :-

1. All Ministries / Departments of the Government of India.
2. Prime Minister's Office / President's Secretariat / Vice-President's Secretariat / Cabinet Secretariat / NITI Aayog / Controller General of Accounts / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Supreme Court of India / Union Public Service Commission / Central Vigilance Commission / Chief Secretary National Capital Territory of Delhi / UGC / Delhi High Court / Office of the Comptroller & Auditor General of India / CAT.
3. Ministry of External Affairs {J.S. (Coord.)}, South Block, New Delhi. It may be brought to the notice of all Embassies / High Commissions of India.
4. Ministry of External Affairs (UNI Section), New Delhi.
5. DG (M & C), MHA for information and necessary action.
6. Chief Engineer, Central Public Works Department (New Delhi), Nirman Bhawan, New Delhi.

(4)

फाइल सं. 2/10/2021-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक: 07 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के प्रदर्शन के सम्बन्ध में।

प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र का झंडा उन सभी भवनों पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है, जिन पर राष्ट्रीय ध्वज निर्यामित रूप से फहराया जाता है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उच्चतम न्यायालय के भवन पर नहीं फहराया जाता है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार, “जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः, राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं और होता है, (अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किये हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर)।”।

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुरोध है कि दिल्ली/नई दिल्ली में उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भवनों के संबंध में इस मामले पर समुचित अनुदेश जारी किये जाएं।

प्राप्तिक्रिया
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
भारत सरकार के उप सचिव
तेल: 011 23093101

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- प्रधानमंत्री कार्यालय/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उप-राष्ट्रपति सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/नीति आयोग/महालेखा नियंत्रक/ लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ भारत का उच्चतम न्यायालय/ संघ लोक सेवा आयोग/ केंद्रीय सर्तकता आयोग/ मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली/यू.जी.सी/ दिल्ली उच्च न्यायालय/ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय/ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
- विदेश मंत्रालय {संयुक्त सचिव (समन्वय)}, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली। कृपया इसे भारत के सभी राजदूतावासों/हाई कमिशनों के संज्ञान में लाया जाए।
- विदेश मंत्रालय (यूएनआई अनुभाग), नई दिल्ली।
- महानिदेशक (एमएंडसी), गृह मंत्रालय सूचनार्थ एवं समुचित कार्रवाई हेतु।
- मुख्य अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (नई दिल्ली), निर्माण भवन, नई दिल्ली।